

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता, आर. ए. एस.

वादपत्र संख्या 50/2018  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम



1. श्रीमति निर्मला पुत्री स्व. रामकुमार पत्नी दौलतराम जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ..... वादिया

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. चानणराम पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. हंसराज पुत्र श्री सुलतान जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मनजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजप्रीत कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. विनोद कुमारी पत्नी राजेश कुमार जाति कुम्हार निवासी- चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सर्वेश पत्नी राजेश कुमार जाति लोधी निवासी- खालसा नगर, श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर। ..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्तागण

1. श्री बलराम सुथार (वादिया)
2. श्री बलकरन सिंह बराड़ (प्रतिवादी संख्या 01)
3. श्री सुभाष मिड्डा (प्रतिवादी संख्या 02 व 03)
4. श्री संजय जुनेजा (प्रतिवादी संख्या 06 व 07)
5. राज पैरोकार (प्रतिवादी संख्या 08)

दिनांक: 24 अप्रैल, 2025

-निर्णय-

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया कि वादीया के नाम से चक 22 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59/59 मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 25 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर 6.325 हैक्टेयर संयुक्त खाता में से खातेदारी रकबा वादीया के नाम 2.432 हैक्टेयर में से निस्फ हिस्सा 1.216 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल के नाम से 2.432 हैक्टेयर में से निस्फ हिस्सा 1.216 हैक्टेयर, चानणराम पुत्र जगमाल के नाम से 0.063 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, हंसराज पुत्र सुलतान के नाम से 0.063 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि दोनो का 0.063 हैक्टेयर, मनजीत कौर के नाम से 1.458 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, राजप्रीत कौर के नाम से 1.458 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, विनोद कुमार व सबेरा के नाम से 2.370 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद है तथा वादीया के हिस्सा व कब्जा में मुरब्बा नं. 23 का किला नं. 1 ता 5 कुल 5 बीघा जिसमें किला नं. 5 में टयुबवैल स्थापित है जो मौका पर है। वादीया द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष खाता संख्या 59/59 मुरब्बा नं.23 के किला नं. 1 ता 5 का खाता अलग कायम करने का आदेश प्रदान करे।

XV

जिला न्यायालय श्रीगंगानगर  
कलक्टर एवं  
कार्यालयिक दफ्तर्नायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 06, 07 की ओर से जवाब मय काउन्टर व्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 07 स्टेट की ओर से जवाब पेश होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल की ओर से जवाब दावा पेश कर जवाब दावा की पैरा संख्या 3 में अंकित किया गया कि मुरब्बा नं. 23 का किला नं. 1 ता 5 कुल 5 बीघा किला नं. 5 में टयुबवैल स्थापित है। वह प्रतिवादी मदनलाल के साधिकार कब्जा काश्त म. मौका पर काबिज है। इसी अनुसार बंटवारा कर प्रतिवादी का नाम जमाबंदी में पृथक खाता में दर्ज किया जाकर पृथक लगान निर्धारित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 1-1 विस्वा, उत्तरी साईड में रास्ता हेतु खरीद किया हुआ है मौका पर रास्ता चालू है। इसी अनुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर व्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि चक 22 जी जी के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर में से किला नं. 1:0.025 हैक्टेयर (किला नं. 2 (0.012 हैक्टेयर), किला नं. 9 (0.025 हैक्टेयर), किला नं. 12 (0.074 हैक्टेयर), किला नं. 13 (0.144 हैक्टेयर) किला नं. 14 (0.145 हैक्टेयर), किला नं. 15 (0.145 हैक्टेयर), किला नं. 16 ता 18 (0.759 हैक्टेयर), किला नं. 19 (0.141 हैक्टेयर), किला नं. 22 (0.142 हैक्टेयर), किला नं. 23 ता 25 (0.759 हैक्टेयर) कुल 2.370 हैक्टेयर का वहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर किलावाईज बंटवारा किया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादिया के निवेदन पर वाद वादिया आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 2148 दिनांक 10.03.2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

## ॥ आदेश ॥

वाद वादिया स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक 22 जी जी के जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नं 23 के किला नं 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टे 0 बरानी मय खाला कृषि भूमि का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

वादिया निर्मला पुत्री रामकुमार पत्नी दौलतराम जाति कुम्हार निवासी 22 चक जी जी बुर्जवाली हाल वजीतपुरा कटीयांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (फाजिल्का) को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु 0 नं 23 के किला नं 1/2/0.0201 खाला मध्य, 1/1/0.1823 बरानी दक्षिण, 2/0.2124 बरानी दक्षिण, 3/0.2404 बरानी, 4/0.2404 बरानी, 5/0.2172 बरानी, 6/0.0262 बरानी, 7/0.0262 बरानी, 8/0.0262 बरानी, 9/0.013 बरानी इस प्रकार कुल 1.2044 हैक्टे 0 बरानी मय खाला कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 22 जी जी बुर्जवाली को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मुरब्बा नं 23 के किला नं 6/0.2268 बरानी, 7/0.2268 बरानी, 8/0.2268 बरानी, 9/0.102 बरानी, 12/0.0911 बरानी, 13/0.0983 बरानी, 14/0.0983 बरानी, 15/0.0983 बरानी इस प्रकार कुल 1.1684 हैक्टे 0 बरानी कृषि भूमि, निर्मला पुत्री रामकुमार पत्नी दौलतराम, मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार को ब 0 हि 0 ब 0 0.0232 हैक्टे 0 रहन बदस्तूर, चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु 0 नं 23 के किला नं 5/0.0232 हैक्टे 0 बरानी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 02 चानणराम पुत्र जगमाल सिंह जाति कुम्हार तथा प्रतिवादी संख्या 03 हंसराज पुत्र सुल्तानराम जाति कुम्हार को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु 0 नं 23 के किला नं 1/1/0.0114 बरानी, 1/2/0.0012 खाला, 2/0.0126 बरानी, 3/0.0126 बरानी, 4/0.0126 बरानी, 5/0.0126 बरानी इस प्रकार कुल 0.063 हैक्टे 0 बरानी मय खाला कृषि भूमि वहिस्सा बराबर,

XV  
एक कलक्टर एवं  
पालक दण्डनायक  
(देक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 04 मनजीत कौर पत्नी जंगीर सिंह जाति जटसिख तथा प्रतिवादी संख्या 05 राजप्रीत कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु0 नं0 23 के किला नं0 10/1/0.228 बारानी, 10/2/0.025 खाला, 11/1/0.228 बारानी, 11/2/0.025 खाला, 20/1/0.228 बारानी, 20/2/0.025 खाला, 21/1/0.228 बारानी, 21/2/0.025 खाला, 9/0.112 बारानी, 12/0.112 बारानी, 19/0.112 बारानी, 22/0.112 बारानी इस प्रकार कुल 1.460 हैक्टे0 बारानी मय खाला, प्रतिवादी संख्या 06 विनोद देवी पत्नी राजेश जाति लोधी तथा प्रतिवादी संख्या 07 सर्वेश पत्नी राकेश कुमार कुमार जाति लोधी को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु0 नं0 23 के किला नं0 9/0.020 बारानी, 12/0.0499 बारानी, 13/0.1547 बारानी, 14/0.1547 बारानी, 15/0.1547 बारानी, 16 ता 18/सालम बारानी, 19/0.141 बारानी, 22/0.141 बारानी, 23 ता 25/0.759 बारानी इस प्रकार कुल 2.334 हैक्टे0 बारानी, प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार को 0.036 हैक्टे0, प्रतिवादी संख्या 06 विनोद देवी पत्नी राजेश जाति लोधी को 0.018 हैक्टे0, प्रतिवादी संख्या 07 सर्वेश पत्नी राकेश कुमार कुमार जाति लोधी को 0.018 हैक्टे0 यथा चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु0 नं0 23 के किला नं0 1/1/0.0343 बारानी, 1/2/0.0037 खाला, 2/0.028 बारानी, 9/0.006 बारानी, इस प्रकार 0.072 हैक्टे0 बारानी मय खाला कृषि भूमि।

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेंगे। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता  
(आर.ए.ए.ए.)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट ट्रेक)  
श्रीगंगानगर


डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- श्रीमति स्वाति गुप्ता, आर. ए. एस.

वादपत्र संख्या 50/2018

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम



श्रीमति निर्मला पुत्री स्व. रामकुमार पत्नी दौलतराम जाति कुम्हार निवासी- 22  
जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ..... वादिया

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. चानणराम पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. हंसराज पुत्र श्री सुलतान जाति कुम्हार निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मनजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजप्रीत कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी- 22 जी जी, बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. विनोद कुमारी पत्नी राजेश कुमार जाति कुम्हार निवासी- चुनावड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सर्वेश पत्नी राजेश कुमार जाति लोधी निवासी-खालसा नगर, श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर। ....प्रतिवादीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्तागण

1. श्री बलराम सुथार (वादिया)
2. श्री बलकरण सिंह बराड़ (प्रतिवादी संख्या 01)
3. श्री सुभाष मिड्डा (प्रतिवादी संख्या 02 व 03)
4. श्री संजय जुनेजा (प्रतिवादी संख्या 06 व 07)
5. राज पैरोकार (प्रतिवादी संख्या 08)

दिनांक: 24 अप्रैल, 2025

वादपत्र संख्या 50/2018

अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया अधिवक्ता श्री बलराम सुथार एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़, श्री सुभाष मिड्डा, श्री संजय जनवेजा तथा राज पैरोकार की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

चक 22 जी जी के जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नं0 23 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टे0 बरानी मय खाला कृषि भूमि का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:- वादिया निर्मला पुत्री रामकुमार पत्नी दौलतराम जाति कुम्हार निवासी 22 जी जी बुर्जवाली हाल वजीतपुरा कटीयांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (फाजिल्का) चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु0 नं0 23 के किला नं0 1/2/0.0201 खाला मध्य, 1/1/0.1823 बरानी दक्षिण, 2/0.2124 बरानी दक्षिण, 3/0.2404 बरानी, 4/0.2404 बरानी, 5/0.2172 बरानी, 6/0.0262 बरानी, 7/0.0262 बरानी, 8/0.0262 बरानी, 9/0.013 बरानी इस प्रकार कुल 1.2044 हैक्टे0 बरानी मय खाला कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 22 जी जी बुर्जवाली को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मुरब्बा नं0 23 के किला नं0 6/0.2268 बरानी, 7/0.2268 बरानी, 8/0.2268 बरानी, 9/0.102 बरानी, 12/0.0911 बरानी, 13/0.0983 बरानी, 14/0.0983 बरानी, 15/0.0983 बरानी इस प्रकार कुल 1.1684 हैक्टे0 बरानी कृषि भूमि, निर्मला पुत्री रामकुमार पत्नी दौलतराम, मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार को ब0हि0ब0 0.0232 हैक्टे0 रहन बदस्तूर, चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु0 नं0 23

X/c  
कलक्टर एवं  
दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

के किला नं० 5/0.0232 हैक्टे० बारानी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 02 चानणराम पुत्र जगमाल सिंह जाति कुम्हार तथा प्रतिवादी संख्या 03 हंसराज पुत्र सुल्तानराम जाति कुम्हार को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु० नं० 23 के किला नं० 1/1/0.0114 बारानी, 1/2/0.0012 खाला, 2/0.0126 बारानी, 3/0.0126 बारानी, 4/0.0126 बारानी, 5/0.0126 बारानी इस प्रकार कुल 0.063 हैक्टे० बारानी मय खाला कृषि भूमि बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 04 मनजीत कौर पत्नी जंगीर सिंह जाति जटसिख तथा प्रतिवादी संख्या 05 राजप्रीत कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु० नं० 23 के किला नं० 10/1/0.228 बारानी, 10/2/0.025 खाला, 11/1/0.228 बारानी, 11/2/0.025 खाला, 20/1/0.228 बारानी, 20/2/0.025 खाला, 21/1/0.228 बारानी, 21/2/0.025 खाला, 9/0.112 बारानी, 12/0.112 बारानी, 19/0.112 बारानी, 22/0.112 बारानी इस प्रकार कुल 1.460 हैक्टे० बारानी मय खाला, प्रतिवादी संख्या 06 विनोद देवी पत्नी राजेश जाति लोधी तथा प्रतिवादी संख्या 07 सर्वेश पत्नी राकेश कुमार जाति लोधी को चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु० नं० 23 के किला नं० 9/0.020 बारानी, 12/0.0499 बारानी, 13/0.1547 बारानी, 14/0.1547 बारानी, 15/0.1547 बारानी, 16 ता 18/सालम बारानी, 19/0.141 बारानी, 22/0.141 बारानी, 23 ता 25/0.759 बारानी इस प्रकार कुल 2.334 हैक्टे० बारानी, प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार को 0.036 हैक्टे०, प्रतिवादी संख्या 06 विनोद देवी पत्नी राजेश जाति लोधी को 0.018 हैक्टे०, प्रतिवादी संख्या 07 सर्वेश पत्नी राकेश कुमार जाति लोधी को 0.018 हैक्टे० यथा चक 22 जी जी के खाता संख्या 88 के मु० नं० 23 के किला नं० 1/1/0.0343 बारानी, 1/2/0.0037 खाला, 2/0.028 बारानी, 9/0.006 बारानी, इस प्रकार 0.072 हैक्टे० बारानी मय खाला कृषि भूमि। अतः डिकी जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।  
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता  
सहायक (आर.ए.एस.)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट श्रीगंगानगर)

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

स्वाति गुप्ता  
सहायक (आर.ए.एस.) एवं  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट श्रीगंगानगर)